अधिसूचना सं०- Com/ATVM facilitators/DNR/24 दिनांक:01.03.24

## अधिसूचना

**दानापुर मंडल में स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) द्वारा अनारक्षित टिकट बेचने के लिए समन्वयक (फेसिलिटेटर) के चयन हेतु आवेदन की माँग**

दानापुर मंडल के 13 (तेरह) स्टेशनों पर स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) के लिए समन्वयक (फेसिलिटेटर) के चयन के लिए आवेदन की माँग वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पूर्व मध्य रेल, दानापुर मण्डल, कृते भारत के राष्ट्रपति की ओर से स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) के माध्यम से टिकट जारी करने के लिए पात्र सेवानिवृत रेल कर्मचारी, सेवानिवृत रेल कर्मचारी के पति/पत्नी अथवा वयस्क संतान से आवेदन आमंत्रित करता है,जो मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर लगाए गए हैं उनकी सूची निम्नवत है :-

| क्र. सं | स्टेशन | एटीवीएम की सं0 | सुविधाकर्ताओं के आवश्यकता की सं0 |
|---|---|---|---|
| 01 | पटना | 08 | 08 |
| 02 | राजेन्द्रनगर टर्मिनल | 04 | 04 |
| 03 | पाटलीपुत्र | 03 | 02 |
| 04 | दानापुर | 03 | 02 |
| 05 | आरा | 03 | 02 |
| 06 | बक्सर | 03 | 02 |
| 07 | मोकामा | 02 | 02 |
| 08 | पटना साहिब | 02 | 02 |
| 09 | बिहार शरीफ | 02 | 02 |
| 10 | दिलदारनगर | 02 | 02 |
| 11 | झाझा | 02 | 02 |
| 12 | लखीसराय | 02 | 02 |
| 13 | जहानाबाद | 02 | 02 |

**(क) पात्रता की शर्तें :-**

1. सभी सेवानिवृत रेल कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 01.04.2024 को 65 वर्ष से कम आयु के हों तथा पूर्व मध्य रेलवे के किसी भी विभाग में सेवा की हो, वे आवेदन करने के पात्र हैं ।
2. सेवानिवृत रेल कर्मचारी स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी या उनके वयस्क संतान (एक सेवानिवृत रेलवे कर्मचारी के लिए केवल एक व्यक्ति जो उनके द्वारा नामित किया गया हो) को भी समन्वयक (फेसिलिटेटर) के रूप में काम करने की अनुमति दी जा सकती है ।आवेदन के साथ में इस आशय का पत्र संलग्न करेंगे।
3. वैसे रेल कर्मचारी जो दंड के आधार पर या स्वैच्छिक सेवा निवृत नहीं हुए हों ।
4. रेल कर्मचारी के वैसे जीवनसाथी/ वयस्क संतान जो किसी अन्यप्रतिष्ठान में कार्यरत हों, वो आवेदन के पात्र नहीं है । आवेदन के साथ में इस आशय का स्व-घोषणा पत्र संलग्न करेंगे।
5. समन्वयक (फेसिलिटेटर)के रूप में चयन में निम्नलिखित अनुसार वरीयता दी जाएगी :
   - (i) वाणिज्य विभाग से वैसे सेवानिवृत रेल कर्मचारी जो वाणिज्य निरीक्षक, वाणिज्य लिपिक, पूछताछ सह आरक्षण लिपिक या टिकट चेकिंग संवर्ग के पद से सेवानिवृत हुए हों
   - (ii) अन्य विभाग से सेवानिवृत रेल कर्मचारी
   - (iii) सेवानिवृत रेल कर्मचारी का पति/पत्नी अथवा वयस्क संतान

सहायक वाणिज्य प्रबंधक
Asstt. Commi. Manager
पूर्व मध्य रेलवे/दानापुर
E C Railway/Danapur

Scanned with OKEN Scanner

6. यदि किसी विशेष स्टेशन के लिए आवश्यक संख्या से अधिक पात्र आवेदक हैं, तो इस दशा में ड्रॉ ऑफ लॉटरी की पद्धति द्वारा समन्वयक (फेसिलिटेटर)का चयन किया जाएगा ।
7. सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी के पति/पत्नी/वयस्क संतान का रेलवे में रोजगार के लिए कोई दावा नहीं होगा। इस संबंध में उन्हें वैधिक कागज पर एक वचन-पत्र भी देना अनिवार्य होगा ।

**(ख)चयन की शर्तें:-**

1. एटीवीएम समन्वयक (फेसिलिटेटर) का कार्यकाल 31.03.2025 तक होगा । जिसे रेलवे बोर्ड/मुख्यालय के दिशा निर्देश के अनुसार बढ़ाया जा सकता है ।
2. रेलवे द्वारा कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा ।
3. समन्वयक (फेसिलिटेटर) को स्मार्ट कार्ड के प्रत्येक री-चार्ज पर 3% (तीन प्रतिशत) प्रोत्साहन स्वरूप बोनस देय होगा ।
4. 3% (तीन प्रतिशत) की दर रेल द्वारा किसी भी समय परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है और समन्वयक (फेसिलिटेटर) किसी भी बकाया/मुआवजे का दावा करने का अधिकार नहीं रखेगा ।

**(ग) समन्वयक (फेसिलिटेटर) की कार्यप्रणाली:-**

**स्मार्ट कार्ड-**

1. समन्वयक (फेसिलिटेटर) उस स्टेशन के सीएस/एसएस से स्मार्ट कार्ड खरीदेंगे जहाँ उसका चयन किया गया है ।
2. एटीवीएम के माध्यम से यात्रियों को टिकट जारी करने के लिए केवल पंजीकृत स्मार्ट कार्ड का उपयोग करना चाहिए ।
3. समन्वयक (फेसिलिटेटर) अपनी आवश्यकता के अनुसार कितने भी रिचार्ज कर सकता है ।
4. यदि स्मार्ट कार्ड खो जाता है, तो उसे इसकी सूचना स्टेशन के सीएस/एसएस को तुरंत देनी चाहिए और इसके बदले मे दूसरा स्मार्ट कार्ड खरीदना चाहिए और इसे डिवीजन के साथ पंजीकृत करना चाहिए ।

**(घ) टिकट जारी करना :-**

1. समन्वयक (फेसिलिटेटर) को उसे आवंटित मशीन से ही टिकट जारी करना चाहिए ।
2. एक से अधिक समन्वयक (फेसिलिटेटर) नियुक्त होने की स्थिति में वहसीएस/एसएस द्वारा बनाए गए रोस्टर के अनुसार एटीवीएम के शिफ्ट में काम करेगा ।
3. समन्वयक (फेसिलिटेटर) को टिकट जारी करते समय रेल द्वारा जारी किया गया आईडी कार्ड पहनना होगा ।
4. समन्वयक (फेसिलिटेटर) को कोई वर्दी निर्धारित नहीं है, फिर भी साफ-सुथरे कपड़े पहनना चाहिए जो यात्रियों के सामने प्रस्तुत करने योग्य हो, और यात्रियों को उनके पहनावे से कोई परेशानी नहीं हो ।
5. समन्वयक (फेसिलिटेटर) को हमेशा यात्रियों के साथ विनम्रता और शिष्टता से व्यवहार करना चाहिए । दुर्व्यवहार या अन्य किसी भी शिकायत के परिणामस्वरूप आवंटित प्राधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा ।
6. समन्वयक (फेसिलिटेटर) यात्रियों की कतार बनाने और मांग के अनुसार सही किराया वसूलने के लिए टिकट जारी करने में मदद करेंगे । अधिक शुल्क के संबंध में किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा और उनका आवंटित प्राधिकार समाप्त कर दिया जाएगा ।
7. जब भी एटीवीएम उपयोगकर्ता टिकट लेने आएंगे तो समन्वयक (फेसिलिटेटर)उन्हें टिकट लेने के लिए प्राथमिकता देंगे ।
8. समन्वयक (फेसिलिटेटर) को अपने नाम का एक बैज बनवाकर हर समय लगाना चाहिए और साथ ही रेलवे द्वारा जारी आई.डी.भी पहनना चाहिए ।

सहायक वाणिज्य प्रबंधक
Asstt. Comml. Manager
पूर्व मध्य रेलवे/दानापुर
E.C Railway/Danapur

Scanned with OKEN Scanner

179

9. जहाँ कहीं भी मांग होती है, रेल ऐसे मामलो मे प्रति एटीवीएम 02 समन्वयक (फेसिलिटेटर) नियुक्त कर सकता है । स्टेशन के सीएस/एसएस द्वारा रोस्टर के अनुरूप समन्वयक (फेसिलिटेटर) शिफ्ट में काम करेंगे ।
10. कार्य शुरू होने और बंद होने की सूचना प्रतिदिन सीएस/एसएस को दी जाएगी और इसे बुकिंग कार्यालय में इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया जाना है । टिकटों की संख्या और राशि के साथ टिकट की आरंभिक संख्या और समापन संख्या भी दर्ज की जानी चाहिए ।
11. एटीवीएम की डस्टिंग और सामान्य साफ-सफाई समन्वयक (फेसिलिटेटर) की प्राथमिक ज़िम्मेदारी होगी । किसी भी सिस्टम की विफलता और टिकट रोल की आवश्यकता की सूचना सीएस/एसएस को तुरंत दी जाएगी, जो बदले में आवश्यक कार्यवाही करेंगे और एटीवीएम को ठीक करवाएँगे ।
12. समन्वयक (फेसिलिटेटर) को ही एटीवीएम का संचालन करना चाहिए और यात्रियों को टिकट जारी करना चाहिए । वह किसी भी समय किसी अनाधिकृत व्यक्ति को टिकट जारी करने की अनुमति नहीं देगा । सबलेटिंग या प्राक्सी उपस्थिति मामले में, आवंटित प्राधिकार तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और आगे के प्राधिकार से वंचित कर दिया जाएगा ।
13. समन्वयक (फेसिलिटेटर) सभी निरीक्षण अधिकारियों को उनके काम में सहयोग करेगा और निरीक्षण के लिए सभी आवश्यक रिकार्ड और दस्तावेज़ पेश करेगा ।
14. एटीवीएम के संबंध में रेलवे बोर्ड/मुख्यालय/मण्डल द्वारा जारी कोई भी निर्देश समन्वयक (फेसिलिटेटर)के लिए मान्य होगा ।
15. समन्वयक (फेसिलिटेटर) को आवंटित स्टेशन के अलावा किसी भी अन्य स्टेशन/प्लेटफार्म/शिफ्ट पर एटीवीएम संचालित करने की अनुमति नहीं होगी ।
16. हालांकि, रेलवे पूर्व सूचना के साथ, जब भी आवश्यक हो, अस्थायी/स्थायी रूप से किसी भी अन्य स्थान पर समन्वयक (फेसिलिटेटर)को संचालन के लिए स्थानांतरित कर सकता है ।

**(ड) टर्मिनेशन:-**

समन्वयक (फेसिलिटेटर) के निम्न विफलताओं पर आवंटित प्राधिकार निरस्त/समाप्त कर दी जाएगी-

- पाली में समय पर उपस्थित नहीं होने पर ।
- यात्रियों से अधिक शुल्क लेना ।
- असंतोषजनक कार्य निष्पादन के कारण यात्रियों की यदि शिकायत आती है तो ।
- 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर ।
- रेलवे की राय में कोई अन्य कारण जो समाप्ति की गारंटी देता है ।
- समन्वयक (फेसिलिटेटर) रेल मे 15 दिन का नोटिस देकर आवंटित ठीके से हट सकता है ।
- रेलवे किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए अधिसूचना/अनुबंध को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।
- आवंटित प्राधिकार, संचालन, स्थानांतरण,समाप्ति आदि की प्रक्रिया सहित सभी मामलों मे वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पूर्व मध्य रेल, दानापुर का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

**(च) आवेदन कैसे करें:-**

इच्छुक व्यक्ति जो उपरोक्त अनुसार पात्र हैं,वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, पूर्व मध्य रेल, दानापुर, मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, दानापुर, खगौल पटना, पिन – 801105 से स्व-अभिप्रमाणित वैध परिचय पत्र की छाया प्रति जमा करके आवेदन प्रपत्र तथा नियम एवं शर्तें निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं ।

सहायक वाणिज्य प्रबंधक
Asstt. Comml. Manager
पूर्व मध्य रेल/दानापुर
E.C Railway/Danapur

Scanned with OKEN Scanner

177

(a) आवेदन प्रपत्र तथा नियम एवं शर्तें www.ecr.indianrailways.gov.in(Division-Danapur, department Commercial )के वेबसाइट पर उपलब्ध है । वेबसाईट से भी आवेदन पत्र डाउनलोड कर आवेदन किया जा सकता है ।

(b) एक आवेदक द्वारा केवल एक ही आवेदन जमा किया जाना है, एक से अधिक आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा ।

(c) आवेदन में मांग की गयी सभी जानकारी सही ढंग से भरी जानी चाहिए, अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकार किए जाने के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

(d) आवेदन के साथ में मांगे गए प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति संलग्न नहीं होने पर अथवा अधूरे भरे हुए आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे ।

(e) आवेदक द्वारा अपने चरित्र के संबंध में जिला पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी/ आरक्षी अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रतिलिपि आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना है, जो की आवेदन खोलने की तिथि को वैद्य हो ।

(f) आवेदक द्वारा किसी रजिस्टर्ड चिकित्सक (एम.बी.बी.एस.) द्वारा जारी नवीनतम स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रतिलिपि आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना है जिस पर – सक्रिय सेवा के लिए योग्य एवं किसी प्रकार की संक्रामक रोग से मुक्त (Fit for the active service and free from any communicable disease) अंकित हो, जो की आवेदन खोलने की तिथि से एक माह से पूर्व का न हो ।

(g) आवेदक द्वारा अनिवार्य रूप से आवेदन पत्र के सभी पृष्ठों तथा निबंधन एवं शर्तों के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है ।

(h) आवेदन का मूल्यांकन आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर ही किया जाएगा । बाद में जमा किए जाने वाले किसी भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा उन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(i) आवेदन पत्र को निर्धारित संलग्नक स्व-अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र के साथ एक सील बंद लिफाफे में रखा जाना है । लिफाफे के ऊपर **एटीवीएम समन्वयक (फेसिलिटेटर)/(स्टेशनका नाम) के लिए आवेदन** लिखा होना चाहिए ।

(j) आवेदन पत्र सील बंद लिफाफे में पंजीकृत डाक, कोरियर, साधारण डाक अथवा स्वयं (हाथो-हाथ) मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य), पूर्व मध्य रेल, दानापुर के कार्यालय में रखे बॉक्स में दिनांक 04.03.24 से 18.03.24 तक दिन के 11:00 बजे से 17:00 बजे तक एवं दिनांक 19.03.24 को दिन के 12.00 बजे तक गिराया जा सकता है । यदि किसी कारणवश अंतिम तिथि को अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे । तथा उसी दिन दिन के 12.30 बजे खोले जाएंगे ।

(k) सीलबंद, प्राप्त आवेदनों को दिनांक 19.03.24 को दिन के 12:30 बजे खोला जाएगा ।

(l) आवेदनकर्ता यदि चाहें, तो आवेदन खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।

(m) अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

मंडल रेल प्रबंधक( वाणिज्य)
पूर्व मध्य रेल, दानापुर

सहायक वाणिज्य प्रबंधक
Asstt. Comml. Manager
पूर्व मध्य रेलवे/दानापुर
E.C Railway/Danapur

Scanned with OKEN Scanner

176

सेवा मे,
मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य)
पूर्व मध्य रेल, दानापुर ।

To
Divisional Railway Manager (Commercial)
East Central Railway, Danapur

**विषय : एटीएम के संचालन हेतु सुविधाकर्ता (फेसिलिटेटर) की नियुक्ति हेतु आवेदन ।**

**Sub: Application for engagement of facilitator for operation of ATVM.**

| | | |
|---|---|---|
| आवेदक द्वारा सभी विवरण अनिवार्य रूप से भरा जाना है । जहाँ आवश्यक हो टिक (   ) लगाएं ।<br><br>All details are required to be filled in by the applicant necessarily.<br>Please tick (  )where ever required. | सेवानिवृत रेल कर्मचारी की पासपोर्ट साइज़ फोटो चिपकाएं, यदि आवेदक उनके जीवनसाथी अथवा उनके वयस्क संतान हों, के मामले में भी ।<br><br>Paste a passport size photograph of Retired Railway employee even applicant is spouse/adult child of retired railway employee. | यदि आवेदक सेवानिवृत रेल कर्मचारियों के जीवनसाथी अथवा उनके वयस्क संतान हों तो उनकी पासपोर्ट साइज़ फोटो चिपकाएं ।<br><br>Paste a passport size photograph of spouse/adult child, if applicant |

| | | |
|---|---|---|
| 1. | स्टेशन का नाम जहाँ के लिए आवेदन दिया गया है :<br>Name of the station for which application has been made : | |
| 2. | आवेदन किसके द्वारा किया जा रहा है-<br>स्वयं रिटायर्ड रेल कर्मचारी/मनोनीत पति/पत्नी/ वयस्क संतान<br><br>Application is being made for whom<br>Retired Railway employee self/spouse/Adult child | स्वयं (   )/ जीवनसाथी (   ) वयस्क संतान(   )<br><br>Self (  ) Spouse ( ) Adult child (   ) |
| 2.1 | यदि आवेदन स्वयं रिटायर्ड रेल कर्मचारी नहीं कर रहा हो तो उनके द्वारा अपने जीवनसाथी या वयस्क संतान को नामित किए जाने से संबंधित नामित पत्र संलग्न करें ।<br><br>If the applicant is not a retired railway employee, a nomination letter in favour of his/her spouse or adult child be enclosed. | संलग्न (   )   संलग्न नहीं (   )<br><br>Enclosed (   ) Not Enclosed(   ) |
| 2.2 | यदि आवेदक स्वयं रिटायर्ड रेल कर्मचारी नहीं है तो इस आशय का स्व-घोषणा पत्र कि वह किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत नहीं है, संलग्न करें ।<br>If the applicant is not a retired railway employee, a self declaration letter regarding his/her non-working in any organization/establishment. | संलग्न (   )   संलग्न नहीं (   )<br><br>Enclosed (   ) Not Enclosed (   ) |
| 3. | आवेदक का नाम हिन्दी में :<br>Name of the applicant in Hindi : | |
| 4. | आवेदक का नाम अंग्रेजी में :<br>Name of the applicant in English : | |
| 5. | पिता/पति का नाम :<br>Father/Husband's name : | |
| 6. | जन्म तिथि :<br>Date of birth : | |
| 7. | आवेदन प्राप्ति की अंतिम (...............)तिथि को उम्र :<br>Age on the last date of receipt of application (as on | _____वर्ष _____माह_____दिन |

सहायक वाणिज्य प्रबंधक
Asstt. Comml. Manager
पूर्व मध्य रेल/दानापुर
E.C Railway/Danapur

Scanned with OKEN Scanner

| | | |
|---|---|---|
| | ......................) : | ____ Years ____ Months ____ Days |
| 8. | सेवानिवृत रेलवे कर्मचारी का नाम :<br>Name of the retired railway employee: | |
| 9. | सेवानिवृत रेलवे कर्मचारी का पी. एफ. सं. :<br>PF no. of the retired railway employee: | |
| 10. | सेवानिवृत रेलवे कर्मचारी की नियुक्ति की तिथि :<br>Date of appointment of retired railway employee : | |
| 11. | रेल सेवा से सेवा निवृति के समय का पदनाम एवं विभाग :<br>Designation& department at the time of retirement : | |
| 12. | अंतिम पे बैंड एवं ग्रेड पे :<br>Last Pay band and Grade Pay : | |
| 13. | सेवा निवृति की तिथि :<br>Date of retirement : | |
| 14. | पी.पी.ओ. नंबर एवं तिथि<br>(स्व-अभिप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें):<br>P.P.O. No. and date<br>(Enclose self attested copy): | |
| 15. | रेल सेवा प्रमाण पत्र एवं तिथि :<br>(स्व-अभिप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)<br>Railway Service Certificate and date :<br>(Enclose self attested copy ) | |
| 16. | सेवानिवृति पहचान प्रमाण पत्र संख्या :<br>(स्व-अभिप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)<br>Retirement Identity card Number:<br>(Enclose self attested copy): | |
| 17. | अधीनस्थ कार्यालय का पता जहाँ से सेवानिवृत हुए हैं :<br>Office address from where retired : | |
| 18. | आवेदक का सेवा निवृत कर्मचारी से संबंध :<br>( यदि आवेदक स्वयं सेवानिवृत कर्मचारी नहीं हैं )<br>Applicant's relation to retired railway employee<br>(If applicant is not a railway employee)<br>(स्व-अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें) :<br>(Enclose copy of the selfattested certificate ) : | |
| 19. | आवेदक की शैक्षणिक योग्यता<br>(स्व-अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें) :<br>Educational qualification of the applicant<br>(Enclose selfattested copyof the certificate): | |
| 20. | आवेदक का पहचान पत्र सं.<br>(आधारकार्ड/ ड्राइविंग लाइसेन्स/वोटर कार्ड/पैन)<br>(स्व-अभिप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)<br>Applicant's Identity proof no.<br>(Aadhar Cad/Driving license/ Voter card/PAN)<br>(Enclose self attested copy of the Identity proof ) | |
| 21. | चरित्र प्रमाण पत्र (डीएम/पुलिस अधीक्षक/बीडीओ/सीओ द्वारा जारी जो कि आवेदन खोले जाने की तारीख में वैद्य हो, की स्व-अभिप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें) :<br>Character certificate (Enclose self attested copyof character certificateissued by DM/SP/BDO/CO which is valid on the date of opening of application ) : | |

सहायक वाणिज्य प्रबधक
Asstt. Comml. Manager
पूर्व मध्य रेलवे/दानापुर
E.C Railway/Danapur

Scanned with OKEN Scanner

| | | |
|---|---|---|
| 22. (i) | आवेदक का वर्तमान पता :<br>Present address of the applicant : | |
| (ii) | आवेदक का स्थायी पता :<br>Permanent address of the applicant :<br>( नवीनतम आवासीय प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें )<br>(Enclose self attested copy of the latest residential certificate | |
| 23. | आवेदक द्वारा अपने चरित्र के संबंध में जिला पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी/ आरक्षी अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र कि स्व-अभिप्रमाणित प्रतिलिपि आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना है, जो की आवेदन खोलने की तिथि को वैद्य हो ।<br>Enclose self attested copy of character certificate issued by District Magistrate/SDO/BDO/CO/SP which is valid on the date of opening of application. | |
| 24. | आवेदक द्वारा किसी रजिस्टर्ड चिकित्सक (एम.बी.बी.एस.) द्वारा जारी नवीनतम स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रतिलिपि आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना है जिस पर – "सक्रिय सेवा के लिए योग्य एवं किसी प्रकार की संक्रामक रोग से मुक्त" (Fit for the active service and free from any communicable disease) अंकित हो, जो की आवेदन खोलने की तिथि से एक माह से पूर्व का न हो ।<br>Enclose self attested copy of medical certificate issued by registered doctor (MBBS) wherein it is mentioned that " Fit for the active service and free from any communicable disease) not older than one month on the date of opening of application. | |
| 25. | सेवानिवृत रेल कर्मचारी के पति/पत्नी/वयस्क संतान का रेलवे में रोजगार के लिए कोई दावा नहीं होगाके संबंध में वैधिक कागज पर एक वचन-पत्र संलग्न करें ।<br>Enclose an affidavit on legal paper regarding no claim of job in railway by retired railway employee/spouse/adult child. | संलग्न ( ) संलग्न नहीं ( )<br>Enclosed ( ) Not Enclosed ( ) |
| 26. | आवेदक का मोबाईल नंबर :<br>Applicant's mobile number: | |

मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि ऊपर दी गयी सभी जानकारी सत्य है । यदि उक्त दी गई जानकारी में से किसी भी स्तर पर कुछ भी गलत पाया जाता है तो एटीवीएम समन्वयक (फेसिलिटेटर) के रूप में हुई मेरी नियुक्ति रेलवे द्वारा समाप्त कर दी जाएगी तथा मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है ।

मैं यह भी घोषणा करता/ करती हूँ कि मैंने नियम और शर्तों को पढ़ लिया है और चुने जाने पर उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ ।

I hereby declare that the information given above are true. If any information given above found false at any stage my appointment as a facilitator in railway will be cancelled and legal action may be taken against me.

I also declare that I have read the terms and conditions and if selected as a facilitator I will follow the same.

स्थान : ......................  आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर

Date : .....................  Applicant's full Signature.

सहायक वाणिज्य प्रबंधक
Asstt. Comml. Manager
पूर्व मध्य रेलवे/दानापुर
E C Railway/Danapur

Scanned with OKEN Scanner